"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 160-अ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 5 जुलाई 2012—आषाढ़ 14, शक 1934

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2012

क्रमांक 02/चार/राष्ट्रपति-चु./2012/915.—उप राष्ट्रपति निर्वाचन-2012 के लिये रिटर्निंग आफिसर एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 480/2/2012 (I), दिनांक 5 जुलाई, 2012 एवं अधिसूचना संख्या-480/2/2012 (II), दिनांक 05 जुलाई, 2012 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

सुनील कुमार कुजूर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई, 2012—आषाढ़ 14, 1934 (शक)

अधिसूचना

सं. 480/2/2012 (I).—राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 3 की उप धारा (1) के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, महासचिव, लोक सभा, संसद भवन, नई दिल्ली को, उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2012 के लिए एतद्द्वारा रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है.

आदेश से,

हस्ता./-
(के. एन. भार)
सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated the 5th July, 2012—Asadha 14, 1934 (Saka)

NOTIFICATION

No. 480/2/2012 (I).—In pursuance of sub-section (1) of section 3 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Election Commission, in consultation with the Central Government, hereby appoints the Secretary General to the Lok Sabha, Parliament House, New Delhi, to be the Returning Officer for the Vice-Presidential Election, 2012.

By order,

Sd/-
(K. N. BHAR)
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई, 2012—आषाढ़ 14, 1934 (शक)

अधिसूचना

सं. 480/2/2012 (II).—राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 3 की उप धारा (1) के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा श्री वी. आर. रमेश, संयुक्त सचिव, लोक सभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली को उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2012 के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है.

आदेश से,

हस्ता./-
(के. एन. भार)
सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated the 5th July, 2012—Asadha 14, 1934 (Saka)

NOTIFICATION

No. 480/2/2012 (2).—In pursuance of sub-section (1) of section 3 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Election Commission, hereby appoints Shri V. R. Ramesh, Joint Secretary, Lok Sabha Secretariat, Parliament House, New Delhi, to be the Assistant Returning Officer for the Vice-Presidential Election, 2012.

By order,

Sd/-
(K. N. BHAR)
Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

